राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 900/2020

राजपाल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–II), अलवर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैरोली, तिजारा, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.09.2020
आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिनेश यादव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतन आदेश को चुनौती दी गई है एवं प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक 29.09.2001 से सेवा अवधि की गणना की जाकर चयनित वेतनमान मय 18 प्रतिशत ब्याज भुगतान कराने का अनुतोष चाहा है।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी अध्यापक के पद पर जिला अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम के तहत आदेश दिनांक 28.09.2001 को अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई (अनुलग्नक–1) जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 29.09.2001 को कार्यभार ग्रहण किया (अनुलग्नक–2)। इसके पश्चात अपीलार्थी ने 2008 में एसटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 06.06.2017 जारी कर अपीलार्थी को क्रमशः प्रथम एसीपी दिनांक 12.03.2017 से स्वीकृत की, जिसमें अपीलार्थी के एसटीसी उत्तीर्ण करने की तिथि 12.03.2008 से 09 वर्ष की सेवा अवधि की गणना की गई है। आदेश दिनांक 06.06.2017 एवं दिनांक 27.06.2017 अनुलग्नक–3 एवं 4 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी प्रथम एसीपी दिनांक 29.09.2001 से अर्थात् कार्यग्रहण करने की तिथि से एवं द्वितीय एसीपी दिनांक 29.09.2019 से प्राप्त करने का अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 02.06.2020 के अनुसार जो व्यक्ति अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन नियुक्त किए गये है उनकी नियमित सेवा कार्यग्रहण तिथि से मानी जायेगी (अनुलग्नक–5)। अन्य समान प्रकरणों में अधिकरण द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को चयनित वेतनमान नियुक्ति तिथि से देने हेतु आदेशित किया है। अतः अपीलार्थी भी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 29.09.2001 से सेवाकाल की गणना कराने एवं उसके अनुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत कराने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के सेवाकाल की

दिनांक 29.09.2001 से गणना नहीं करना अवैध, मनमाना, भेदभावपूर्ण एवं निराधार है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 07.08.2020 को नोटिस (अनुलग्नक–6) देने के उपरान्त भी उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील प्रस्तुत कर चयनित वेतनमान स्वीकृति हेतु दिनांक 29.09.2001 से सेवाकाल की गणना करने एवं तद्नुसार स्वीकृति कराने का अनुतोष चाहा है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह अपील पूर्णतः परिपत्र दिनांक 02.06.2020 पर आधारित है। यह परिपत्र अपीलार्थी के मामले में लागू नहीं होता क्योंकि यह परिपत्र अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम के तहत मंत्रालयिक कर्मचारियों के संबंध में है एवं अपीलार्थी अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ है, जिसमें नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता बीएड या बीएसटीसी है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29.06.2009 में यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि एसीपी हेतु सेवाकाल की गणना नियमितीकरण की तिथि से की जायेगी (अनुलग्नक–आर/1)। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी. स्पेशल रिट अपील संख्या 589/2015 में यह निर्णित किया कि सेवा अवधि की गणना नियमित नियुक्ति से की जायेगी। अतः अपीलार्थी के प्रकरण में एसीपी हेतु सेवाकाल की गणना नियमितीकरण की तिथि अर्थात उस तिथि से की जायेगी, जिस तिथि को अपीलार्थी ने निर्धारित बीएसटीसी योग्यता अर्जित की है, न कि प्रथम नियुक्ति तिथि से की जायेगी। अपीलार्थी को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति दी जाने पर दिनांक 29.09.2001 को कार्यभार ग्रहण किया एवं निर्धारित बीएसटीसी की योग्यता दिनांक 12.03.2008 को अर्जित/उत्तीर्ण की। इसी कारण एसीपी हेतु सेवा अवधि की गणना दिनांक 12.03.2008 से की गई है, जो नियमों एवं जारी आदेश के सुसंगत है। अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट अंकित है कि अपीलार्थी की 3 वर्ष अवधि में वांछित योग्यता अर्जित करनी होगी। अपीलार्थी का नियुक्ति आदेश दिनांक 24.09.2001 अनुलग्नक–आर/2 पर प्रस्तुत है। अतः अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया।

प्रस्तुत अपील में यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अधीन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 24.09.2001 को की गई (अनुलग्नक–आर/2)। इस नियुक्ति आदेश में यह शर्त अंकित है कि तीन वर्ष की अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण करना होगा एवं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने की दशा में सेवा समाप्त करने के अध्यधीन रहेगी एवं जब तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वार्षिक वेतन वृद्वि देय नहीं होगी। जिला परिषद के उक्त नियुक्ति आदेश के अनुसरण में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी तिजारा ने आदेश दिनांक 28.09.2001 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मुसैपुर में नियुक्ति आदेश जारी किया एवं अपीलार्थी ने दिनांक 29.09.2001 को कार्यग्रहण किया (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी ने निर्धारित

प्रशिक्षण बीएसटीसी को दिनांक 12.03.2008 को उत्तीर्ण किया एवं इस तिथि को सेवा नियमितीकरण तिथि मानी जाकर अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 12.03.2017 से स्वीकृत किया गया है (अनुलग्नक–3)।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत नियुक्त मृतक आश्रित कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कब से मानी जायेगी एवं निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने की दशा में वार्षिक वेतन वृद्धि एवं वरिष्ठता के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 02.06.2020 जारी किया गया है। जिसके प्रासंगिक बिन्दु निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	मृतक आश्रित कर्मचारी की नियुक्ति नियमित कब से होगी।	अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत नियुक्त कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेंगी।
2.	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने के संबंध में।	नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को परिवीक्षा की कालावधि के भीतर सुसंगत नियमों में यथाविहित कम्प्यूटर अर्हताओं में से कोई अर्हता प्राप्त करनी होगी।
3.	मृतक आश्रित कर्मचारी की वरिष्ठता के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी की वरिष्ठता, कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेगी।
4.	मृतक आश्रित कर्मचारी के परिवीक्षाकाल के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी का परिवीक्षाकाल भी सीधी भर्ती में नियुक्त कर्मचारी की भांति दो वर्ष का होगा किन्तु यदि वह दो वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो उसका परिवीक्षाकाल अधिसूचना दिनांक 02.01. 2017 के प्रावधानानुसार उतनी ही अवधि का बढाया हुआ समझा जावेगा जितनी अवधि में वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करता है।
5.	मृतक आश्रित कर्मचारी के स्थायीकरण के संबंध में।	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने के पश्चात् परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर उसका स्थायीकरण किया जावेगा।
6.	मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा/टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के संबंध में।	जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता है तब तक से कोई वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियमानुसार काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धि देय होगी तथा कोई नकद संदाय नहीं किया जायेगा।

इससे स्पष्ट है कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत नियुक्त कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावे। अर्थात अपीलार्थी के प्रकरण में नियमिति नियुक्ति दिनांक 29.09.2001 से मानी जायेगी।

एसीपी हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.06.2009 में एसीपी हेतु सेवा अवधि की गणना सेवा/कैडर में नियमित नियुक्ति से की जायेगी एवं एड–हॉक सेवा/वर्क चार्ज सेवा/दैनिक मजदूरी पर सेवा अवधि को शामिल नहीं किया जाना है।

अधिकण द्वारा समान प्रकरण अपील संख्या 123/2022 प्रदीप कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य एवं ऐसे 4 अन्य प्रकरणों में आदेश दिनांक 08.05.2023 द्वारा यह निर्णित किया हैः–

''प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर हुई थी। यह नियुक्ति नियमित नियुक्ति है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण को एस.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु

भेजा गया, जिस पर अपीलार्थीगण ने उक्त तालिका में अंकित अनुसार एस.टी.सी. प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया। माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू एल.सी. 2003 यू.सी. पेज 677 गोविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं रामचन्द्र बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य के प्रकरण (डब्ल्यू. एल. सी. (राज.) 1999 (1) पेज 258) एवं डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3661/1996 श्रीमती पुष्पलता टाडा व 41 अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.04.2001 के निर्णय में आश्रित नियमों के अंतर्गत की गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति ही माना है। इसलिए हमारे विनम्र मत में उनकी सेवाओं की गणना कार्यग्रहण करने की तिथि से करते हुए अपीलार्थीगण चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.09.2020 एवं 19.08.2016 उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थीगण नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के हकदार है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 10.09.2020 एवं 19.08.2016 को अपीलार्थीगण की सीमा तक अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थीगण की सेवाओं की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं समस्त एरियर सहित पारिणामिक लाग प्रदान किए जावें। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।''

उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी स्वीकार किए जाने योग्य होने से स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के एसीपी स्वीकृति हेतु सेवा अवधि की गणना अपीलार्थी की सेवा में नियमित नियुक्ति के पश्चात कार्यग्रहण करने की दिनांक 29.09.2001 से की जाकर एसीपी स्वीकृति की कार्यवाही की जावे। परन्तु यह अवश्य जांच कर ली जावे कि अपीलार्थी की सेवाएं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा संस्थायी (Confirm) कर दी गई क्योंकि उभय पक्ष द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं संस्थायी (Confirm) करने के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। यदि अपीलार्थी के सेवाएं संस्थायी (Confirm) नहीं की गई है तो प्रथमतः नियमानुसार सेवा संस्थायीकरण किया जाकर एसीपी स्वीकृत करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आदेश आज दिनांक 29.08.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)